न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

रेफरेन्स / 01 / 2020

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

.....प्रार्थी0

बनाम

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नदबई

.......अप्रार्थी

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

रेफरैन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, बाबत हाल आराजी खसरा नम्बर 1371 / 0.41, गै.मु. शमशान व खसरा नम्बर 1372 / 1.35 गै.मु. आवादी वाके ग्रांम कस्वा नदबई प्रथम नामांन्तकरण संख्या 1550 दिनांक 21–3–1995, बाके ग्रांम कस्वा नदवई प्रथम निरस्त करने।

उपस्थित :–

1–पैरोकार सरकार, प्रार्थी,

2–श्री हनुमान प्रसाद गोयल ,अभिभाषक अप्रार्थी,

निर्णय **दिनांक 30.08.2024**

प्रार्थी0 ने यह रैफरेन्स विरुद्व अप्रार्थी0 इस आश्य का पेश किया है, जो संक्षेप में इस प्रकार है, गत आराजी खसरा नम्बर 1074 रकबा 6 बीघा 19 विस्वा (जरीव 165 फुट है) से हाल आराजी खसरा नम्बर 1371 / 0.41, 1372 / 1.35 बाके ग्रांम कस्वा नदबई बनाये गये हैं। गत आराजी खसरा नम्बर 1074 रकबा 6 बीघा 19 विस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर बाके ग्रांम कस्वा नदबई मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सं. 2028 सिवाय चक दर्ज रिकार्ड है। आराजी खसरा नम्बर 1074 रकबा 6 बीघा 19 विस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर को नामान्तकरण संख्या 1550 निर्णय दिनांक 21.3. 1995 से आवादी विस्तार हेतु किस्म परिवर्तन कर खसरा नम्बर 1074 रकवा 6 बीघा 19 विस्वा गै.मु. पोखर से गै.मु.आबादी कर दी गई है। आराजी खसरा नम्बर 1074 की किस्म गै.मु. पोखर से गै.मु. आवादी परिवर्तन के समय (सन् 1995) तहसील नदवई में नया वन्दोवस्त प्रक्रियाधीन होने के कारण बन्दोवस्त विभाग द्वारा सम्वत् 2060 में खसरा नम्बर 1074 के नये खसरा नम्बर 1371 / 0.41 किस्म गै.मु. श्मशान, 1372 / 1.35 किस्म गैर मुमकिन पोखर बनाये गये हैं लेकिन नामान्तकरण संख्या 1550 दिनांक 21.3.1995 का अमल वन्दोवस्त विभाग द्वारा नहीं कर बन्दोबस्त पूर्ण

.........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

होने पर तहसील से रिकार्ड(मिसल सं. 2060) प्राप्त होने पर उक्त नामांतकरण का अमल आधार वर्ष जमाबन्दी सं. 2060 में किया गया है जिसमें नवीन खसरा नम्बर 1372/1.35 की किस्म गै.मु. पोखर से गै.मु. आबादी की गई है।

राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि पानी के बहाव क्षेत्र एवं कैचमेन्ट क्षेत्र की किस्म संवत 2002 एवं सं. 2006 में गै.मु. पोखर थी ऐसी भूमि आर.टी.एक्ट की धारा 16 के अन्तर्गत आंबटन/नियमन हेतु प्रतिबंधित है। प्रकरण की नदी तालाब, पोखर आदि जलाश्यों से सबंधित भूमियो को पूर्व की स्थिति में दर्ज करने हेतु डी.बी.सिविल रिट याचिका सं. (पीआईएल) 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 सुओमोटो बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश है। राजरू सरकार के राजस्व (ग्रुप-7) विभाग जयपुर के पत्रांक प-3(146)राज. 7/2011 दिनांक 26.6.2012 के बिन्दु संख्या 3 में उक्त प्रकार की भूमियों को धारा 16 के अन्तर्गत विपरीत मानते हुये इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि 31/10/55 की स्थिति दर्ज किये जाने के निर्देश है। उक्तानुसार गत खसरा नम्बर 1074 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा किस्म गै.मु. पोखर की नियम विरुद्ध किस्म परिवर्तन होने के कारण नामान्तकरण संख्या 1550 दिनांक 21.3.95 को निरस्त किया जाकर हाल खसरा नम्बर 1371,1372 की किस्म गैर गुमकिन श्मशान, गैर गुमकिन आबादी के स्थान पर गैर गुमकिन पोखर किये जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर भिजवाये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये । तहसीलदार नदबई से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नदबई के पत्रांक/भू.अभि. /24/ 3405 दिनांक 13.8.24 रिपोर्ट शामिल मिसिल की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने अपने कथनों में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1074 की किस्म गै.मु. पोखर से गै.मु. आबादी में परिवर्तन के समय (सन् 1995) तहसील नदबई में नया बन्दोबस्त प्रक्रियाधीन होने के कारण बन्दोबस्त विभाग द्वारा सम्वत् 2060 में खसरा नम्बर 1074 के नये खसरा नम्बर 1371/0.41 किस्म गै.मु. श्मशान, 1372/1.35 किस्म गैर गुमकिन पोखर बनाये गये हैं लेकिन नामान्तकरण संख्या 1550 दिनांक 21.3.1995 का अमल बन्दोबस्त विभाग द्वारा नही कर बन्दोबस्त पूर्ण होने पर तहसील

..........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

से रिकार्ड (मिसल सं. 2060) प्राप्त होने पर उक्त नामांतकरण का अमल आधार वर्ष जमाबन्दी सं. 2060 में गलत दर्ज कर दिया गया है जिसमें नवीन खसरा नम्बर 1372 / 1.35 की किस्म गै.मु. पोखर से गै.मु. आबादी की गई है। नामान्तकरण संख्या 1550 दिनांक 7.3.95 निरस्त किया जाकर विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 1074 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा कस्बा नदबई में दर्ज भूमि किस्म भूमि किस्म पूर्वतः गैर मुमुकिन पोखर दर्ज कराये जाने के आदेश दिये जाने हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर भिजवाया जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का कहना है कि जो नियमों में प्रावधानों हो तदनुसार कार्यवाही की जावे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया। योग्य अभिभापक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत् 2006 ग्रांम कस्बा नदबई पुराने आराजी खसरा नम्बर 844 रकबा 11बीघा 6बिस्वा की भूमि किस्म गैर मुमकिन पोखर दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल गत आराजी खसरा नम्बर 844 रकबा 10बीघा 11बिस्वा एवं खसरा नम्बर 843 रकबा 6बिस्वा से नया नम्बर 1074 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा बनाया जाना दर्शाया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2047 से 2050 कस्बा नदबई में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1074 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा की भूमि किस्म गैर मुमकिन पोखर दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि गत आराजी खसरा नम्बर 1074 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा की भूमि किस्म गैर मुमकिन पोखर है। तहसीलदार नदबई द्वारा नामान्तकरण संख्या 1550 दिनांक 7.3.95 में विवादित आराजी खसरा 1074 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा की भूमि किस्म गैर मुमकिन पोखर के स्थान पर गै.मु. आबादी गलत दर्ज कर दी है। तहसीलदार नदबई को भूमि की किस्म बदलने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी नगर पालिका नदबई को विवादित आराजी की भूमि की किस्म पूर्वतः गैर मुमकिन पोखर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये में कोई आपत्ति नहीं है।

राज.सरकार प्रमुख शासन सचिव जयपुर के पत्र क्रमांक / प. 6(107)राज–3 / 19 दिनांक 17.12.19 के परिप्रेक्ष्य में हम विचाराधीन विवादित नामान्तकरण संख्या 1550 दिनांक 7.3.95 में अंकित आराजी खसरा नम्बर खसरा 1074 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा मे दर्ज भूमि किस्म गै.मु. आबादी के स्थान पर गैर मुमकिन पोखर दर्ज किया जाना उचित पाते हैं।

..........4

जिला कलक्टर
भरतपुर

(4)

रेफरेन्स / 01 / 2020
राज.सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नदबई को निर्देशित किया जाता है कि नामान्तकरण संख्या 1550 दिनांक 7.3.95 में अंकित आराजी खसरा नम्बर खसरा 1074 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा मे दर्ज भूमि किस्म गै.मु. आबादी के स्थान पर गैर मुमकिन पोखर दर्ज किया जावे / सही किया जावे। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा नम्बर से बने नये नम्बरान में भी उक्तानुसार गैर मुमकिन आबादी के स्थान पर गैर मुमकिन पोखर दर्ज किया जावे / सही किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30–08–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)